Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता (क्वालिटी कन्ट्रोल) 6 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 मार्च, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामेश्वर सिंह जाटव अधीक्षण अभियंता (क्वालिटी कन्ट्रोल) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वितीय मुख्यालय अलवर को परिवादी से **6 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट सही देने की एवज में रामेश्वर सिंह जाटव अधीक्षण अभियंता (क्वालिटी कन्ट्रोल) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वितीय मुख्यालय अलवर द्वारा **15 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर–द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामेश्वर सिंह जाटव पुत्र श्री बदन लाल निवासी मुडिया, तहसील नगर, जिला भरतपुर हाल अधीक्षण अभियंता (क्वालिटी कन्ट्रोल) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वितीय मुख्यालय अलवर को परिवादी से **6 लाख रूपये (2 लाख रुपये भारतीय मुद्रा एवं 4 लाख रुपये डमी करेंसी)** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधीक्षण अभियंता द्वारा शिकायत से पूर्व **2 लाख 50 हजार रुपये** तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान **1 लाख 50 हजार** रुपये परिवादी से रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।